तकनीकी शिक्षा संचालनालय, मध्यप्रदेश
सतपुड़ा भवन, भोपाल–462 004

क्रमांक/6/2008/ 68 /भोपाल, दिनांक 5 /05/2008

प्रति,

समस्त प्राचार्य,

शासकीय/स्वशासी /इंजीनियरिंग महाविद्यालय/

पोलीटेकनिक महाविद्यालय/

मध्यप्रदेश ।

विषयः– संस्था में अनुपयोगी/निष्प्रयोजित उपकरण/यंत्रों आदि के अपलेखन बाबत् ।

–0–

शासन स्तर पर आयोजित विभागीय समीक्षा बैठक दिनांक 26, अप्रैल 2008 के बिन्दु क्र.21 में निर्णय लिया गया है कि संस्थाओं में अनुपयोगी/निष्प्रयोजित उपकरण यंत्रों एवं अन्य सामग्री की अपलेखन की कार्यवाही तत्काल की जावे । इस संबंध में समस्त संस्था प्रमुखों को सूचित किया जाता है कि अपनी संस्थाओं के अनुपयोगी यंत्र/उपकरण एवं अन्य सामग्री की सूची प्राथमिकता के आधार पर तैयार की जावे । सूची में सामग्री के मूल्य का विवरण भी दिया जावे । मध्यप्रदेश वित्त विभाग की वित्तीय शक्ति पुस्तिका 1995 में प्रत्यायोजित किये गये अधिकारों के अनुसार सामग्री के अपलेखन एवं निपटारे की कार्यवाही की जावे । संस्था के प्राचार्यो को प्रत्यायोजित अधिकारों से अधिक मूल्य की सामग्री के अपलेखन संबंधी प्रस्ताव संचालनालय को भेजा जावे ।

उक्त कार्यवाही प्राथमिकता के आधार पर की जाकर की गई कार्यवाही से संचालनालय को अवगत करावें ।

<u>(संचालक द्वारा अनुमोदित !)</u>

(पी.के.श्रीवास्तव)
लेखा अधिकारी
तकनीकी शिक्षा संचालनालय,म0प्र0

06/05/08

pk shrivastava